32वीं (स्थगित) वार्षिक आम सभा की सूचना

सेवा में,
शेयर धारक,
पवन हंस लिमिटेड

यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए कम्पनी की 32वीं (स्थगित) वार्षिक आम सभा दिनांक 27.12.2017 को संपन्न वा.सा.बै. का आयोजन शुक्रवार, दिनांक 16वीं फरवरी, 2018 को अपराह्न 06.0 बजे होटल अशोक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110011 में किया जाएगाः–

सामान्य व्यवसाय

1. **लेखा अंगीकरण**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षि लाभ एवं हानि विवरण तथा इनसे संबंधित ऑडिटरों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा उनके संबंध की गई टिप्पणियां तथा निदेशक रिपोर्ट की प्राप्ति, विचार तथा अंगीकार किया जाना।

2. **लाभांश की घोषणा**

विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखि संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना :–

"**यह संकल्प करते हुए** एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 7,52,96,000/– रुपए की समायोजित निव सम्पति (739.73 करोड़ रुपए) जमा निगमित कर के लाभांश पर 5% की दर से 36,98,68,000/– रुपए का लाभ का भुगतान कम्पनी के शेयरधारकों को किए जाने की घोषणा की जाती है।"

3. विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखि संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना :–

i) "**यह संकल्प किया जाता है कि** एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर (डीआईएन संख्या–08010730), जिन नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर की गई है तथा जो 3 वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक कार्यालय पद पर कार्यरत हैं तथा जिनसे कम्पनी को लिरि में उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, को एतद्वारा कम्पनी के निदेशक पद पर बने रहने के नियुक्त किया जाता है और आवर्तन क्रम में उनकी सेवानिवृत्ति शेष/विस्तारित काल तक के लिए न विमानन मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुसार होगी।

ii) इसके अलावा **यह संकल्प किया जाता है कि** श्री अशोक नायक (डीआईएन संख्या –01621890), जिन नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक के पद पर की गई थी तथा 32वीं वार्षिक आम सभा की तिथि तक कार्यालय पदधारी हैं, तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में अ उम्मीदवारी को प्रस्तावित करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्वारा कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक पद पर बने रहने के लिए नियुक्त किया जाता है तथा वे शेष/विस्तारित काल तक आवर्तन क्रम में न विमानन मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होंगे।"

iii) इसके अलावा **यह संकल्प किया जाता है कि** श्री हरीश चौधरी (डीआईएन संख्या –00075061), जि नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक के पद पर की गई थी तथा 32वीं वार्षिक आम सभा की तिथि तक कार्यालय पदधारी हैं, तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में अ उम्मीदवारी को प्रस्तावित करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्वारा कम्पनी के स्वतंत्र निदेशव पद पर बने रहने के लिए नियुक्त किया जाता है तथा वे शेष/विस्तारित काल तक आवर्तन क्रम में व विमानन मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होंगें।"

4. विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के तौर पर पारित किया जाना :–

"यह संकल्प किया जाता है कि शेयरधारकों के अनुमोदन से यह संकल्प पारित किया गया है कि पवन हंस लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, रोहिणी, दिल्ली से सी–14, सेक्टर–1, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश) अर्थात दिल्ली से नोएडा में स्थानांतरित कर दिया जाए।

इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय को सी–14, सेक्टर–1, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश) अर्थात दिल्ली से नोएडा में स्थानांतरित करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की अपेक्षाओं तथा उससे संबद्ध नियमावली के अनुसार केन्द्र सरकार (निगमित कार्य मंत्रालय) से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी (पवन हंस लिमिटेड) के संस्था के बहिर्नियम की धारा II में तथा एतद्वारा धारा II संशोधन किया गया है जिसके अनुसार "कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित होगा।"

इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार स्थानांतरित किए जाने के उद्देश्य से कम्पनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा ऐसी क्रियाएं, कृत्य, मामलों एवं अपने स्व–विवेकानुसार ऐसे कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक समझे गए हों तथा ऐसे प्राधिकार में प्रदत्त की गई किन्हीं भी शक्तियों का प्रत्यायोजन एयर कमोडोर टी.ए.दयासागर, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), श्री धीरेन्द्र सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी, श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव, कम्पनी के अन्य किसी अधिकारी तथा श्री डी.पी. गुप्ता, व्यावसायिक कम्पनी सचिव को किया जाना शामिल है।

पवन हंस लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेशानुसार जारी
(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
02 फरवरी, 2018

नोट :

क) बैठक में भाग लेने के पात्र तथा बैठक में मतदान के पात्र सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने के पात्र होगें जिसका कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्राक्सियों की प्रभाव्यता के लिए उन्हें बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना होगा। एक कोरा प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।

ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 के अंतर्गत विशेष व्यवसाय से संबंधित सापेक्षता स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

पंजीकृत कार्यालय :
रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) : यू62200डीएल1985जीओआई022233